न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 43/2021 (GCMS : 2021/134)

1. **रोशनलाल उर्फ रोशन सिंह** पुत्र सुखदेव सिंह जाति बावरी आयु करीब 20 साल निवासी 66 एनपी तहसील रायसिंहनगर वर्तमान निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **संत कौर पत्नी सुखदेव सिंह** जाति बावरी आयु करीब 73 साल निवासी 66 एन पी तहसील रायसिंहनगर वर्तमान निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

— प्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. **सुखदेव सिंह पुत्र नायब सिंह** पुत्र मान सिंह जाति बावरी निवासी 66 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. **गुरदेव सिंह पुत्र नायब सिंह** पुत्र मान सिंह जाति बावरी निवासी 66 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. **कश्मीर कौर पुत्री नायब सिंह** पुत्र मान सिंह जाति बावरी निवासी 66 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
4. **सरजीत कौर उर्फ गुरदीप कौर** पुत्री नायब सिंह पुत्र मान सिंह जाति बावरी निवासी 66 एनपी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
5. **स्टेट** ऑफ राजस्थान जरिये **तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर**
6. **पंजाब नेशनल बैंक**, शाखा नई धानमण्डी रायसिंहनगर द्वारा शाखा प्रबन्धक
7. **स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया** शाखा रायसिंहनगर द्वारा शाखा प्रबंधक

— अप्रार्थीगण

09.11.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बलराम स्वामी उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण दावा अनवानी रोशनलाल आदि बनाम सुखदेव सिंह आदि प्रकरण संख्या 53/2021 मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या 45/21 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है, अतः इसे खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण दावा अनवानी रोशनलाल आदि बनाम सुखदेव सिंह आदि प्रकरण संख्या 53/2021 मय प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 45/21 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि **तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है।** अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर